बातचीत के बिंदु-14

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) योजना

सामाजिक सुरक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। मजदूर संगठन सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की माँग करते रहे हैं।

देश के मजदूरों के लिए ई.एस.आई. योजना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। आजादी के तुरंत बाद 1948 में ई.एस.आई. कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत ई.एस.आई. कॉरपोरेशन (ई.एस.आई.सी.) का गठन किया गया था। इस कानून का उद्देश्य कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों को बीमारी, मातृत्व और चिकित्सा लाभ प्रदान करना था। कर्मचारियों के आश्रितों को भी योजना के तहत ये सभी लाभ दिऐ जाते हैं।

ई.एस.आई. योजना चिकित्सा, बीमारी और कई अन्य लाभ भी मुहैया कराती है। इस योजना के तहत बाह्य रोगी चिकित्सा, विशेषज्ञ परामर्श, मुफ्त दवाईयाँ, कृतिम अंग एवं सहायक उपकरण, निदान एवं जाँच की सुविधा, अस्पताल में भर्ती करके इलाज, रोगों की रोकथाम व एम्बुलेंस की व्यवस्था बगैरह मुहैया कराया जाता है।

आमदनी के नुकसान के लिए भी ई.एस.आई. नौकरी कुछ समय तक मुआवजा देती है, मातृत्व लाभ, रोजगार के कारण चोट लगने पर अथवा मृत्यु होने पर आश्रित लाभ देय होता है। इसके अतिरिक्त बीमित व्यक्ति की मौत पर अंतिम संस्कार का खर्च जैसे अन्य लाभ व्यावसायिक पुर्नवास, कारखाना बंदी अथवा छंटनी के कारण अनैच्छिक बेरोजगारी का सामना करने वाले मजदूरों को एक साल तक के लिए बेरोजगारी भत्ता भी, ई.एस.आई. योजना के तहत उपलब्ध होता है।

हमें याद रखना चाहिये कि ये सभी लाभ न तो किसी सरकार ने और ना ही मालिकान ने मजदूरों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति के तहत नहीं दिये गये थे। यह अधिकार मजदूरों ने लम्बे संघर्षों के माध्यम से, आजादी के तुरंत बाद ई.एस.आई. कानून बनने के बाद हासिल किए थे। यह भी याद रखना आवश्यक है कि ई.एस.आई. योजना के तहत देय सभी लाभ कर्मचारियों व प्रबंधकों के योगदान से जमा राशि से प्रदान किये जाते है। भारत सरकार का इसमें एक पैसे का भी योगदान नहीं है।

ई.एस.आई. योजना को लागू करने में कुछ खामियां भी रही हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कार्यरत मजदूर, इस योजना के अर्न्तगत शामिल होने के योग्य होते हैं। एक लम्बे समय से इसके तहत पात्रता के वास्ते वेतन सीमा को बढ़ाकर 25 हजार रुपये मासिक तक करने के लिए संघर्ष के बाद, कुछ समय पहले ही वेतन सीमा 21 हजार रुपये की गयी है। फिर भी मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 70% को, कानूनी तौर पर इस योजना का हकदार होने पर भी, अभी तक इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के कानूनी हक से मजदूरों के एक बहुत बड़े हिस्से को वंचित रखे जाने का प्रमुख कारण, इस योजना में अपना हिस्सा डालने के प्रति मालिकान की अनिच्छा है ताकि मजदूरों के कल्याण की कीमत पर मुनाफों में वृद्धि की जा सके। नवउदारवादी दौर में, श्रम कानूनों

को लागू करवाना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार श्रम विभाग ही वे विभाग ही श्रम कानूनों के उल्लंघन में मालिकान को मदद कर रहे हैं।

इस अभाव की सीमा को कुछ दिये गए तथ्यों से आंका जा सकता है। 31 मार्च, 2015 तक इस योजना के अर्न्तगत केवल 2.03 करोड़ ही मजदूर शामिल थे। दूसरी ओर उसी तारीख को ई.पी.एफ. (जिसमें उन प्रतिष्ठानों के मजदूर ही शामिल हो सकते हैं जो 20 या अधिक मजदूरों को नियोजित करते हैं), में योगदान करने वाले मजदूरों की संख्या 3.71 करोड़ थी। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि ई.एस.आई. योजना के तहत कम से कम ई.पी.एफ. में योगदानकर्ताओं की संख्या से दोगुनी संख्या होनी चाहिये थी। सच यह भी है कि ई.पी.एफ. में 50% प्रतिशत से अधिक शामिल होने के योग्य मजदूर, इस योजना में मालिकों द्वारा अपनी हिस्सेदारी जमा करवाने की अनिच्छा के कारण शामिल नहीं हो पाते हैं।

आजादी के 70 साल बाद और ई.एस.आई. कानून बनने के बाद भी यह सारे देश में लागू नहीं किया गया। मार्च 2016 तक केवल 393 जिले इस योजना में शामिल थे। 2015 में सम्पन्न हुए 46वें श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि ई.एस.आई. के लाभ असंगठित क्षेत्र के अनेक मजदूरों एवं उनके कार्यों के लिए जैसे कि जैसे सड़क, परिवहन, निर्माण मजदूर, स्व–रोजगार करने वाले व्यक्ति, आटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक इत्यादि और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को को भी विस्तारित किए जाऐं। तीन साल बीतने के बाद और ई.एस.आई.सी. द्वारा इस संबंध में कुछ फैसले लेने के बावजूद भी इन सिफारिशों पर कुछ भी नहीं किया गया

ई.पी.एफ. की तरह ही भाजपा सरकार ई.एस.आई. योजना को भी विघटित करने के लिये तत्पर है। यह सरकार ई.एस.आई. कानून में संशोधन करके इस योजना को मैडिक्लेम में परिवर्तित करना चाहती है। 2015 के वित्त मंत्री के बजट भाषण में स्पष्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता की जगह बंधक बताया गया था और इन बन्धकों को रिहा करने की पेशकश की थी, भाजपा सरकार ने इस दोनों योजनाओं, जो कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है को विघटित करने का फैसला किया है। यह एक पुरानी कहावत की तरह है कि 'कुत्ते को मारने से पहले उसे बुरा सा नाम दे दो'। मजदूरों को, ई.एस.आई. अथवा स्वास्थ्य बीमा में से चुनने की सरकारी पेशकश का मतलब ई.एस.आई. को समाप्त करना जिसके माध्यम से लाखों मजदूरों की सेवा प्रदान की गई एवं हजारों मजदूरों और उनके परिवारों की जाने बची है, को बंद करके देशी–विदेशी निजी बीमा कंपनियों को लाभ पहुँचाने की पेशकश है।

ई.एस.आई. और स्वास्थ्य बीमा में अन्तर

ई.एस.आई. योजना के तहत आने वाले प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले मजदूर व उसके परिवार को पहले दिन से सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अनेक नगद लाभ भी मिलते है जैसे बीमारी के कारण शारीरिक कष्ट, स्थाई एवं अस्थाई विकलांगता के कारण कमाई न कर पाने पर, एवं बच्चे के जन्म पर नगद लाभ। बीमाकृत मजदूर की औद्योगिक दुर्घटना के कारण या रोजगार संबंधी चोट के कारण मृत्यु होने पर उसके आश्रित मासिक पैंशन पाने के पात्र होते हैं। यह योजना बहुत कम योगदान पर असीमित लाभ मुहैया कराती है।

दूसरी ओर स्वास्थ्य बीमा के तहत रोगी का इलाज पहले से तय बीमारियों व दुर्घटना का इलाज केवल अस्पताल में भर्ती होने पर, वो भी बीमाराशि की तय सीमा के अंदर ही; बाह्य रोगी चिकित्सा लाभ नहीं मिलेगा। बीमा की किश्त अर्थात कर्मचारी का योगदान, बीमा राशि पर निर्भर होगा।

भाजपा सरकार सार्वभौमिक कवरेज के बारे में बहुत शोर मचा रही है। इस सरकार ने कहा कि वह आंगवाड़ी, मिड–डे–मील व आशा कर्मियों को भी इसमें शामिल करेगी। **सीटू ने सरकार से इसके के लिए**

जरुरी योगदान स्वयं करने माँग की है क्योंकि बहुतायत राज्यों में इन कर्मियों का वेतन रु० 137 प्रतिदिन से भी कम है। और ई.एस.आई. कानून के मुताबिक इतने से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कोई भी योगदान करना जरुरी नहीं होता।

लेकिन भाजपा सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रस्तावित किया कि योजनाकर्मी सीमित कवरेज के लिए केवल रु०150 प्रतिमाह का योगदान दें। संसदीय कमेटी के सामने इसने अपनी प्रस्तुती में इस राशि के कुछ बढ़ाने की पेशकश की गई लेकिन इसे सिरे से अस्वीकार कर दिया गया। इस योजना में मजदूर का योगदान वेतन का केवल 1.75% होता है। लेकिन बहुत कम वेतन वाले मिड–डे–मील आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों को उनके वेतन का 25% देने को कहा गया है। मिड–डे–मील वर्कर के बारे में तो यह एक भद्दा मजाक लगता है।

हितलाभों में कटौती

नवउदारवादी एजेंडे के तहत सामाजिक सुरक्षाओं में कटौती के लिए अपनी प्रतिबद्धता के चलते प्रधानमंत्री मोदीनीत भाजपा सरकार ने केन्द्र में सत्ता संभालते ही ई.एस.आई. की जगह स्वास्थ्य बीमा के प्रयास शुरु कर दिए थे। **ई.एस.आई. कारपोरेशन ने जुलाई, 2014 से हितलाभों में कटौती की पहल शुरू कर दी थी। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिन्हें बीमाकृत व्यक्ति के लिए मानना लाजमी कर दिया। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में इलाज के लिए पात्रता का मानदंड बदल दिया। 2010 में लागू किए गए प्रवेश द्वार (पोर्टल) के माध्यम से जिनका पंजीकरण नहीं था, उनके इलाज से इंकार किया जा रहा था। जिन मजदूरों के उससे पहले कोई बीमारी थी उसके इलाज को नकारा जा रहा था। लम्बे अरसे से योगदान करने के बावजूद भी सुपर स्पेशिलिटी इलाज से इंकार किया जा रहा था। कर्मचारी या उसके आश्रितों को गुर्दे के बीमारी हो, कैंसर इत्यादि की बीमारी पंजीकरण से पहले से हो तो उनका इलाज ई.एस.आई. के तहत नहीं होगा। इसी तरह कर्मचारियों को ई.एस.आई. के तहत मिलने वाले निवर्तमान हितलाभों से वंचित करने के लिए अमानवीय शर्तें जोड़ी जा रही है।**

देशी–विदेशी बीमा कम्पनियों के मुनाफों में इजाफा करने में मदद के वास्ते, यह कर्मचारियों को, उनकी तरफ धकेलने की कोशिश के अलावा और कुछ नही। ई.एस.आई. की सेवाओं में सुधार करने और हितलाभों में वृद्धि करने के बजाए सरकार हितलाभों में कटौती कर रही है। यह धन की कमी के कारण नहीं हो रहा। ई.एस.आई. के 2013–2014 और 2014–2015 के वार्षिक खाते दर्शाते हैं कि आमदनी से खर्चा निकालने के बाद क्रमशः रु0 5420 करोड़ और रु0 5979 करोड़ थे। इन दो सालों में आरक्षित निधी और अधिशेष क्रमशः रु0 36079 करोड़ और 42043 करोड़ था।

भाजपा सरकार ने तथाकथित श्रम सुधारों को लागू करने की अपनी चाल के तहत, ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. सहित, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 15 श्रम कानूनों को एक कोड के रुप में पेश किया है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा संगठनों के पास जमा 12000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को प्रधानमंत्री के अधीन एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति को हस्तांरित कर देने की पेशकश है। लेकिन यह कोड कुछ नहीं बताता कि अभी चल रही ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. जैसी योजनाओं का क्या होगा?

5 सितम्बर, 2018 की मजदूर–किसान संघर्ष रैली भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए है कि मजदूर अपने संघर्षों के प्राप्त संवैधानिक हकों जैसे कि ई.एस.आई. से छेड़छाड़ को बर्दास्त नहीं करेगा। यह रैली भारत सरकार से नवउदारवादी नीतियों के द्वारा मजदूरों को लूटकर बड़े कारपोरेट के और धनी बनाने की नीति को पलटने के लिए है।

एकजुट रहो! और संघर्ष करो!

- ऐसी सरकारें नहीं जो 0.1% के लिए काम करें

- उन नीतियों के लिए जो 99.9% के हित में हों